

प्रेषक,

देवी प्रसाद साहू,
अनुसचिव,
उ०प्र० शासन ।

सेवा में,

राज्य के समस्त सार्वजनिक निगमों/उपक्रमों/सहकारी
कताई मिल संघ लि०/सहकारी चीनी मिल संघ लि०,
के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक ।

लखनऊ : दिनांक 4 जुलाई, 1995

विषय :- प्रदेश के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों की सेवाओं में अनुसूचित
जातियों/अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण ।

महोदय,

सार्वजनिक उद्यम
अनुभाग-2

उपर्युक्त शासनादेश सं० 1052/44-2-1994, दिनांक 28-7-1994 के अनुक्रम
में कार्मिक अनुभाग-1 के पत्र संख्या 1-1-94-कार्मिक-1/1994, दिनांक 25 मार्च, 1994
तथा उसके संलग्नक विधायी अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या 488/17-वि-1-1 (क)-
6-1994, दिनांक 23 मार्च, 1994 की छाया प्रति उपयोगार्थ संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही
हेतु प्रेषित करने का निदेश हुआ है ।

संलग्नक - यथोक्त

भवदीय,
देवी प्रसाद साहू,
अनुसचिव।

संख्या : 893/चौवालिस-2-1995, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों से सम्बन्धित शासन के प्रशासनिक अनुभाग
- (2) कार्मिक अनुभाग-1
- (3) राष्ट्रीय एकीकरण अनुभाग-2
- (4) सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1
- (5) महानिदेशक सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, जवाहर भवन, लखनऊ ।

आज्ञा से,
देवी प्रसाद साहू,
अनु सचिव।